कार्यालय

उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम,
4/65 इन्द्रलोक हाईडिल कालोनी
कृष्णानगर, कानपुर रोड,लखनऊ।
दूरभाष सं0 0522–4022784.
electricityforum@gmail.com

कोरम :–

परिवाद सं0 83/2022

1. श्री जमाल मसूद अब्बासी, अध्यक्ष
2. श्री आर0डी0 यादव, सदस्य तकनीकी

श्रीमती सोनी सिंह पत्नी विश्वेश्वर प्रसाद, डी–730, ओमेक्स सिटी, लखनऊ।	बनाम्	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, वृन्दावन, लेसा, लखनऊ।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सोनी सिंह पत्नी विश्वेश्वर प्रसाद, डी–730, ओमेक्स सिटी, लखनऊ ने विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, वृंदावन, लेसा के विरूद्ध इस आशय का परिवाद योजित किया है कि वह मकान सं0 डी–730, ओमेक्स सिटी, लखनऊ में निवास कर रही है। उसके पति श्री विश्वेश्वर प्रसाद जल निगम, जनपद बस्ती में कार्यरत है। परिवादिनी का उसके पति से पारिवारिक विवाद चल रहा है जिसके कारण परिवादिनी ने न्यायालय में 125 सी0आर0पी0सी0 (गुजाराभत्ता) का मुकदमा भी दाखिल कर रखा है। इसी कारण परिवादिनी के पति ने उपरोक्त मकान का विद्युत कनेक्शन जो उनके नाम था, परिवादिनी को परेशान करने के उद्देश्य से विच्छेदित करा दिया है। अब उपरोक्त मकान में कोई विद्युत कनेक्शन नहीं है। बिना बिजली के परिवादिनी को तरह तरह की परेशानियाँ हो रही है। अतः यह अनुरोध किया गया है कि परिवादिनी को उसके नाम से विद्युत कनेक्शन निर्गत कर दिया जाये।

परिवादिनी के पति श्री विश्वेश्वर प्रसाद को नोटिस निर्गत की गयी जो कि पर्याप्त मानी गयी। कोई उत्तर दाखिल नहीं हुआ।

विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, वृन्दावन, लेसा द्वारा अपने उत्तर पत्र दि0 25.06.2022 में यह कहा गया है कि विभागीय निरीक्षण में तत्कालीन अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वादिनी की ओर से पारिवारिक न्यायालय में गुजारा भत्ता सम्बन्धी वाद चल रहा है। वादिनी की ओर से मकान के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज, रजिस्ट्री, किरायेनामा तथा श्री विश्वेश्वर प्रसाद से एन0ओ0सी प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे विभाग द्वारा नया संयोजन नहीं दिया गया। परिसर के स्वामी श्री विश्वेश्वर प्रसाद द्वारा आवेदित प्रत्यावेदन पर संयोजन विच्छेदित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड, रजनीखण्ड द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार वादिनी की ओर से मकान का मालिकाना हक न होने एवं परिसर विवादित होने के वजह से विद्युत संयोजन नहीं

उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम कार्यालय लखनऊ

दिया जा सका। चूंकि परिसर की रजिस्ट्री परिवादिनी के पति श्री विश्वेश्वर प्रसाद के नाम पर ही है, उनसे एन0ओ0सी0 प्राप्त होने से संयोजन देना सम्भव है।

फोरम ने उभय पक्षों को सविस्तार सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया।

परिवादिनी द्वारा यह बताया गया है कि वह अपने पति श्री विश्वेश्वर प्रसाद के मकान सं0 डी0– 730, ओमेक्स सिटी, वृन्दावन, लखनऊ में निवास कर रही है। उसके पति से उसका विवाद चल रहा है, जिस सम्बन्ध में उसका एक गुजाराभत्ता व घरेलू हिंसा का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा कि कथित है कि उसका पति लगातार उसको घर से निकाल देने का दबाव बना रहा है। उसका पति लगभग ढाई साल से उसके साथ नहीं रह रहा है और किसी अन्य महिला के साथ कहीं और रह रहा है। यह भी बताया गया है कि उसके तीन बच्चे है और उनको भी उसके पति अपने साथ ले गये है। अब वह उक्त परिसर पर अकेले रहती है। वर्तमान में उसके पति ने उसके घर के कनेक्शन को विच्छेदित करा दिया है और मीटर व केबिल भी उतार लिया गया है। परिवादिनी उक्त परिसर पर अपने नाम से विद्युत संयोजन चाहती है। उसके द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है कि वह मकान सं0 डी0– 730, ओमेक्स सिटी, वृन्दावन, लखनऊ में निवास कर रही है। उसके पति से उसका विवाद चल रहा है, जिस सम्बन्ध में उसका एक गुजाराभत्ता व घरेलू हिंसा का वाद मा0 पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। उसके पति जल निगम में अधीक्षण अभियन्ता है और वह बस्ती, उ0प्र0 में कार्यरत है। उसके पति ने उसके निवास स्थान पर स्थापित विद्युत संयोजन को उनके मध्य विवाद के कारण विच्छेदित करा दिया है। वर्तमान में उक्त परिसर पर उसका कब्जा है और उसमें वह विद्युत के आभव में निवास कर रही है।

परिवादिनी उक्त परिसर पर काबिज है तथा निदेशक (वाणिज्य) के पत्रांक 272b/मु0अ0(वा एवं ऊ0ले0)/वा-1/ 27/08/2019 के अनुसार

"1. <u>नये संयोजन लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज</u> :

उपभोक्ताओं को सहज रूप से अधिक से अधिक संयोजन दिये जाने के उद्देश्य से नये संयोजन के आवेदन हेतु निम्न की आवश्यकता होगी:

(क) पहचान प्रमाण पत्र के रूप में -

आधार कार्ड या आधार कार्ड की अनुपस्थिति में वोटर आई0डी0।

(ख) भवन स्वामित्व प्रमाण पत्र के रूप में निम्न में से किसी एक अभिलेख की आवश्यकता होगी।

<u>भवन स्वामी के लिए</u>

(i) भवन की रजिस्ट्री।

(ii) कब्जा प्रमाण पत्र।

(iii) कुटुम्ब रजिस्टर ।

(iv) सम्बन्धित ग्राम के ग्राम प्रधान से परिसर के स्वामी का प्रमाण पत्र।

(v) सरकारी आवास हेतु सरकार/विभाग का एलोटमेन्ट लेटर।

<u>किरायेदार के लिए</u>

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम कार्यालय लखनऊ

परिसर के स्वामी का सहमति पत्र या किरायेदारी का प्रमाणपत्र ।

(ग) यदि आवेदक के पास (ख) में उल्लिखित उपरोक्त कोई दस्तावेज नहीं है तो प्री-पेड मीटर लगाकर संयोजन निर्गत किया जाये।"

उपरोक्त प्राविधान के अनुसार परिवादिनी को प्रीपेड विद्युत कनेक्शन पारिवारिक विवाद पति से होने एवं परिसर पर काबिज होने की स्थिति को देखते हुये, दिया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में फोरम का यह मत है कि परिवादिनी के परिवाद में बल है तथा परिवाद स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद तद्नुसार स्वीकार किया जाता है।

विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, वृन्दावन, लेसा को आदेशित किया जाता है कि परिवादिनी को उक्त परिसर में प्रीपेड विद्युत संयोजन समस्त औपचारिक्तायें पूर्ण करने पर 07 दिनों में निर्गत कर दे।

अनुपालन आख्या दि0 30.09.2022 तक फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति प्रबन्ध निदेशक, म0वि0वि0नि0लि0, 4ए, गोखले मार्ग, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दि0 15.09.2022 को सुनाया गया।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15/9/22

(आर0डी0 यादव)
सदस्य तकनीकी
सदस्य तकनीकी
विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम
लखनऊ

15/09/22

(जमाल मसूद अब्बासी)
अध्यक्ष

उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम कार्यालय लखनऊ